निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प झनझनी
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्याः– 180/2016
दायरा दिनांकः– 28.11.2016
निर्णय दिनांक :– 01.06.2017

उनवान

बाबूलाल पुत्र भूरालाल जाति मीना निवासी मण्डोला तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 01.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 395/73 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 396/74 रकवा 4 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 397/77 रकवा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 398/113 रकवा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 399/328 रकवा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 400/329 रकवा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 401/330 रकवा 15 बिस्वा मौजा मण्डोला तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 51 सम्वत् 2072–2075 से हिस्सा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिसमें वादी के पिता का नाम रघुनाथ दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी पूर्व में ख0नं0 73 रकवा 2.08 बीघा, ख0नं0 74 रकवा 16.10 बीघा, ख0नं0 77 रकवा 5.07 बीघा, ख0नं0 112 रकवा 02 बिस्वा, ख0नं0 113 रकवा 10.05 बीघा, ख0नं0 328 रकवा 2.13 बीघा ,ख0नं0 329 रकवा 11 बिस्वा, ख0नं0 330 रकवा 03 बीघा मौजा मण्डोला में स्थित है जो जमाबन्दी खाता संख्या 60 संवत 2013–2032 से रघुनाथ, भूरालाल, धन्नालाल पिसरान धूलिया कौम मीना सा0 देह के खातेदारी में दर्ज जमाबन्दी थी।

खातेदार रघुनाथ का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इन्तकाल संख्या 69 ग्राम मण्डोला वादी के नाम खोला गया जिसमें वादी का नाम बाबूलाल पुत्र भूरालाल मुतबन्ना रघुनाथ दर्ज हुआ, तथा खातेदार भूरालाल का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इन्तकाल संख्या 70 ग्राम मण्डोला खोला गया जिसमें बाबूलाल पुत्र भूरालाल दर्ज कर दिया, तथा खातेदार धन्नालाल का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इन्तकाल संख्या 72 ग्राम मण्डोला खोला गया जो उनकी पुत्रियां सोना, सम्पत, व माता गजरी बाई के नाम खोला गया। सोना, सम्पत, व माता गजरीबाई का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इन्तकाल संख्या 107 ग्राम मण्डोला वादी के नाम निर्णित हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी वादी के

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

खातेदारी मे दर्ज हुई यूं कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण आराजी के खातेदार रघुनाथ, धन्नालाल, भूरालाल का स्वर्गवास होने पर सम्पूर्ण आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त वर्णित आराजी के खातेदार रघुनाथ का स्वर्गवास होने पर सर्व प्रथम नाम बाबूलाल मुतबन्ना रघुनाथ दर्ज हो गया जो इसी प्रकार दर्ज होता रहा जबकि वादी के नाम अन्य दस्तावेज में वादी की वल्दियत में भूरालाल दर्ज हैं वादी के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आर जे/15/114/258090 मे वादी के पिता का नाम भूरालाल दर्ज है तथा राशन कार्ड संख्या 00155 में वादी के पिता का नाम भूरालाल दर्ज है एवं भामाशाह नामांकन में वादी के पिता का नाम भूरालाल दर्ज हैं। कुछ आराजियात का बटवारा करने के बाद उक्त वर्णित आराजी वादी के खातेदारी में शेष रही जिसमें वादी के पिता का नाम रघुनाथ दर्ज हो रहा हैं जिससे वादी को काफी परेशानिया हो रही हैं वादी उक्त आराजियात में अपने पिता का नाम भूरालाल घोषित कराने का अधिकारी है।

वादी ने दिनांक 22.11..2016 को प्रतिवादी से उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी के पिता का नाम भूरालाल करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के पिता का नाम बाबूलाल के स्थान पर भूरालाल दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे कार्यवाही करने के लिये कहा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला संवत 2072–75 खाता संख्या 51, नकल नामा0 नं0 60 ग्राम मण्डोला, नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला संवत 2060–63 खाता संख्या 45, नकल नामा0 नं0 69, नकल नामा0 नं0 70, नकल नामा0 नं0 72, नकल नामा0 नं0 107, नकल जमाबन्दी संवत 2056–2059 पेश की गई। फोटो प्रति पहचान पत्र, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति आधार कार्ड की पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी पर उपस्थित हुआ। प्रतिवादी द्वारा राजस्व लोक अदालत में जबाव पेश किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य वादी में बाबूलाल, सागर सिंह, रमेश के बयान कराये गये।

वादी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वादी के पिता का नाम भूरालाल है। राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में भी वादी के पिता का नाम भूरालाल दर्ज है। परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम बाबूलाल पुत्र रघुनाथ दर्ज है जबकि बाबूलाल के पिता का सही नाम भूरालाल हैं। तहसीलदार छीपाबडौद ने भी जबाव बाबूलाल के पिता का नाम रघुनाथ के स्थान पर भूरालाल दर्ज करने की अनुशंषा की है। सागरसिंह एवं रमेश के बयानों में भी बाबूलाल के पिता का सही नाम भूरालाल होना बताया है। वादी का वाद स्वीकार कर बाबूलाल के पिता का नाम रघुनाथ के स्थान भूरालाल किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मडोला के खाता संख्या 51 के खसरा नंबर खसरा नंबर 395/73 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 396/74 रकवा 4 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 397/77 रकवा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 398/113 रकवा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 399/328 रकवा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 400/329 रकवा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 401/330 रकवा 15 बिस्वा मौजा मण्डोला तहसील छीपाबड़ौद में दर्ज वादी बाबूलाल के पिता का नाम रघुनाथ के स्थान पर भूरालाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद, जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 180/2016	धारा अन्तर्गत 88, RTA	निर्णय दिनांक 01.06.2017
समक्ष	श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां	
उपस्थिति	अभिभाषक वादी– श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी–

वाद शीर्षक
उनवान

बाबूलाल पुत्र भूरालाल जाति मीना निवासी मण्डोला तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झनझनी पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मडोला के खाता संख्या 51 के खसरा नंबर खसरा नंबर 395/73 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 396/74 रकवा 4 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 397/77 रकवा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 398/113 रकवा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 399/328 रकवा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 400/329 रकवा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 401/330 रकवा 15 बिस्वा मौजा मण्डोला तहसील छीपाबड़ौद में दर्ज वादी बाबूलाल के पिता का नाम रघुनाथ के स्थान पर भूरालाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 01.06.2017 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner